F[illegible] NO III
[illegible]काम
[illegible]26)

अदालत उपखण्ड अधिकारी अंराइ मुकाम अराई (अजमेर)

• कैलाश पुत्र भंवर लाल जाति तेली आयु लगभग 47 साल निवासी ग्राम अरांई तहसील अरांई जिला अजमेर राज.। –प्रार्थी

बनाम

• ओमप्रकाश पुत्र भंवरलाल जाति तेली आयु लगभग 52 साल निवासी ग्राम अरांई तहसील अरांई जिला अजमेर राजस्थान वगै. –अप्रार्थीगण

किस्म मुकदमा– 212 राज0 का0 अधि0 1955

दर्ज नंबर 143 /2022
ऑनलाइन नंबर 2022/ 149

वकील प्रार्थी :– अशोक शर्मा वकील अप्रार्थीगण.....................

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
20.12.2022	यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से वकील प्रार्थी श्री अशोक शर्मा ने अन्तर्गत धारा 212 राज.का.अधि. 1955 के तहत पेश किया। वकील प्रार्थी ने प्रा. पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगणों की संयुक्त कब्जे की प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 02 में वर्णित आराजी ग्राम अरांई पटवार हल्का अरांई तहसील अंराई में स्थित भूमि खाता संख्या 46 के खसरा संख्या 3494/1480 रकबा 1.4562 हैक्टेयर स्थित है जिसमें प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 01 का 1/2 , 1/2 हिस्सा दर्ज है जिसके मौके विधिक विभाजन नहीं हुआ है, बिना विधिक विभाजन के अप्रार्थी संख्या 01 प्रार्थी को बेदखल करने पर उतारू है तथा प्रार्थी के कब्जे काश्त में व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं अतः श्रीमान से निवेदन है कि अप्रार्थी संख्या 01 को उपरोक्त वर्णित भूमि का बेचान, रहन, संपरिवर्तन, नहीं करने व मौके व रिकार्ड की यथास्थिती बनाये रखने के लिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें। हमारे द्वारा वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। प्रार्थी द्वारा पेश शपथ पत्र, दस्तावेजात व वकील प्रार्थी की बहस से प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है अतः अप्रार्थीगणों को प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या में वर्णित आराजीयात ग्राम अरांई पटवार हल्का अरांई तहसील अंराई में स्थित, जिसके वर्तमान खाता संख्या 46 के खसरा संख्या 3494/1480 रकबा 1.4562 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थी के हक हिस्से तक उपरोक्त भूमि को बेचान, रहन, संपरिवर्तन नहीं करने तथा मौके व रिकार्ड की यथास्थिती बनाये रखने के लिये अप्रार्थीगणों को आगामी तारीख पेशी तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये रजिस्टर्ड ए.डी सम्मन की जाकर पत्रावली दिनांक 13.01.2023 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी अराई	13.4.2[illegible]

तारीख नम्बर ... जारी ... की ... तारीख ...

5/7/25 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान् उपस्थित।
P.O. साहब चुनाव कार्य/राजकार्य/दौरे/अवकाश
पर पधारे। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार..................
दिनांक 29/8/25 को पेश हो।

29/8/25 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान् उपस्थित।
P.O. साहब चुनाव कार्य/राजकार्य/दौरे/अवकाश
पर पधारे। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार..................
दिनांक 3/10/25 को पेश हो।

3/10/25 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप.।
हेतु [illegible], तलबी 2,3
पत्रावली दिनांक 21/11/25 को पेश हो

उपखण्ड अधिकारी
अराई

21/11/25 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप.।
हेतु जवाब तलबी
पत्रावली दिनांक 9/1/26 को पेश हो

उपखण्ड अधिकारी
अराई

9/1/26. पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप./ आदेश [illegible] नहीं करवाई गई है [illegible] तामील [illegible] पत्रावली [illegible] तामील [illegible] पत्रावली [illegible] शुरू [illegible] की जाती है। पत्रावली [illegible]